न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 259 / 2013

उनवान

1. रामा गोदपुत्र मांगू गाडरी निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती बाली पत्नी जोधराज पुत्री तुलछा गाडरी निवासी खेडा खूट माताजी, संजय कोलोनी, तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 261 / 2007 निर्णय दिनांक 27.9.2013

अभिभाषक : 1. श्री दिनेश सिसोदिया ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस एल वैद , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 8.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल स्थित आराजी नम्बर 9533 / 2565, 9534 / 2693 कुल किता 2 रकबा 4.13 बीघा आराजी नम्बर 2849 रकबा 0.06 बीघा, आराजी नम्बर 2850,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2855, 9497/2851, 2857 किता 4 कुल रकबा 3.14 बीघा भूमि वादिया के माता व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 बचपन में ही उसकी माता के साथ मांगू पिता घीसा गाडरी निवासी पांसल तहसील भीलवाडा के नाते चली गई। उसी समय प्रतिवादी भी उसके साथ चला गया । वहीं पर बडा हुआ एवं वहॉ पर मांगू की जमीन का उपयोग–उपभोग कर रहा है। वहॉ पर प्रतिवादी रामा पिता मांगू के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। चूंकि राम अपनी माता के साथ नाते के समय चला गया एवं वही रह रहा है । ऐसी स्थिति में माण्डल स्थित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 रामा का कोई हक नहीं रहता है। पूर्व पिता काना की जायदाद पर उसका कोई हक नहीं रहा है तथा रामा ने दिनांक 15.11.89 को इकरार नामा रंभा के पक्ष में इस आशय का निष्पादित किया कि ग्राम माण्डल स्थित कुलिया जायदाद में मेरा कोई हक नहीं है। विरासत से विपक्षी रामा ने राजस्व अभिलेख में काना वल्द धूला का विरासत स्वयं के नाम इन्द्राज करावाकर दोहरा लाभ हासिल किया है जो गैर कानूनी है। समस्त जायदाद पर अब तुलच्छा जी के फौत होने पर अधिकार उनकी पत्नि का हो गया । जिसका नाम रम्भा है । राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में खाता रम्भा व रामा का है। राजस्व रेकार्ड में त्रुटि से रामा का नाम रह गया है। रम्भा की मृत्यु हो चकी है। रम्भा की मृत्यु से पूर्व दिनांक 28.2.2006 को एक वसीयतनामा अपनी पुत्री बाली के नाम पर वादग्रस्त आराजियात जो पेरा नम्बर 2 में अंकित है का लिखा गया है। वर्तमान में यह समस्त आराजियात प्रार्थीया के नाम पर होनी चाहिये थी । जिसका इन्द्राज दुरूस्ती का वाद चल रहा है। अतः वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक जारी की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने से नियत तारीख पेशी को आगामी पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा बढाई जाती रही । दिनांक 27.9.2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक बढाई जाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/प्रत्यर्थीया के पक्ष में एवं अपीलार्थी के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने मे भारी भूल की है। वाद प्रस्तुत करने के समय प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार नहीं थी एवं न ही उसका वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त हीं है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को विचारणीय रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजियात का संयुक्त खातेदार काश्तकार है जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त तीनों ही बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में होते हुए अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीया ने जिस वसीयतनामा को आधार बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है वह वसीयत रंभा के हक हिस्से तक ही प्रभावी होगी वह भी तभी प्रभावी होगी कि कि प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया वसीयत को प्रमाणित करावे। अपीलार्थी मांगू के यहॉ गोद गया है वह अपने पिता एवं अपने दादा की मृत्यु के उपरान्त गोद गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इससे अपीलार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है परन्तु यदि अपीलार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी को विकय्र कर देता है तो अनावश्यक परेशानी हो जायेगी।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन मामले में प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया ने वादग्रस्त आराजियात में वादिया का हक अधिकार होना एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी का हक अधिकार नहीं होना बताते हुए मूल वाद के निस्तारण तक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी/अपीलार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया । यद्यपि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजियात में खातेदार काश्तकार है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में मूल वाद विचाराधीन है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज के उपरान्त उभयपक्ष के हक अधिकारों का अंतिम तौर पर निस्तारण होना शेष है। अपीलार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये स्पीकिंग ऑर्डर अस्थाई निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया गया है। यदि अपीलार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है और अपीलार्थी/विपक्षी वादग्रस्त आराजियात को विक्रय, खुर्द बुर्द कर देता है तो अनावश्यक वाद बढ जायेंगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.9.2013 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

8/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा